266 1 वर्ष 2013 – 14 के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और सरकारी विभाग / मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हेतु दिशा – निर्देश ।

कृपया वित्तीय वर्ष 2013 – 14 के लिए समझौता ज्ञापन का मसौदा बनाने के लिए इसके साथ संलग्न दिशा – निर्देशों की प्रति देखें । ये दिशा – निर्देश लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट **http://dpemou.nic.in.** पर भी उपलब्ध हैं ।

2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (नियंत्रक कम्पनी और सहायक कम्पनियों) को उक्त दिशा – निर्देशों के आधार पर वर्ष 2013 – 14 के लिए समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करने की सलाह दी जाए ।

3. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और उसकी सहायक कम्पनियों की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, कारपोरेट योजना की एक प्रति तथा संलग्न अनुबंधों सहित वर्ष 2013 – 14 के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन की एक अग्रिम प्रति 30 नवम्बर 2012 तक (हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति) लोक उद्यम विभाग को सीधे भेजी जाए । उनके बोर्ड के अनुमोदन के बाद में मुख्य प्रति 15 दिसम्बर, 2012 तक प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के माध्यम से लोक उद्यम विभाग, योजना आयोग और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजी जा सकती है । अनुमोदित प्रतियां संबंधित सिण्डीकेट ग्रुप के कार्यबल के सदस्यों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा पहले ही भेजनी होगी ।

4. इन दिशा – निर्देशों में संशोधनों को यदि कोई हो, कार्यबल सिडीकेंट ग्रुप के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की विचार – विमर्श बैठकों से पूर्व जारी किया जाएगा ।

वर्ष 2013 – 14 के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और सरकारी विभाग / मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हेतु दिशा – निर्देश ।

1. **उपयुक्तता** : सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (नियंत्रण कम्पनी और सहायक कम्पनियां) बिना आपत्ति समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे; जब शीर्ष / नियंत्रण कम्पनियां अपने प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगी , सहायक कम्पनियां अपनी – अपनी संबंधित शीर्ष / नियंत्रण कम्पनियों के साथ उसी आधार पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगी जिस आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और भारत सरकार के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए लोक उद्यम विभाग के कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनके समझौता ज्ञापन निष्पादन को "घटिया" नियत किया जाएगा ।

1.1 **समझौता ज्ञापन से छूट** :– जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन्द हैं/प्रचालन में नहीं हैं, मिला दिए गए हैं, समाप्त कर दिया है, शैल कम्पनियां हैं, अथवा रुग्ण हैं और बन्द होने के कगार पर हैं अथवा बिना पुनरूद्धार पैकेज के मिला दिया गया है, उनके मामले में प्रशासनिक मंत्रालय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट की अनुमति लेने के लिए लोक उद्यम विभाग को सिफारिश करेगा ।

1.2 **लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मार्ग दर्शी सिद्धान्त** :– एमओयू लक्ष्य वास्तविक होने चाहिए, लेकिन विकासोन्मुख और अन्तः प्रेरणादायक होने चाहिए तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की प्रस्तावित वार्षिक योजना, बजट और कारपोरेट योजना

तथा मंत्रालय/विभाग के रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) के अनुरूप होने चाहिए । यह विद्यमान और प्रत्याशित परिस्थितियों अधिकतम प्राप्ति योग्य होने चाहिए । आईपीओ/एफपीओ दस्तावेजों में संभावित निवेशकों को प्रकट की गई वित्तीय सूचना तथा पणधारकों के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

1.3 **वित्तीय लक्ष्य (स्थिर मापदण्ड)** :– सकल बिक्रियों, कारोबार सकल मार्जिन निवल लाभ के बुनियादी लक्ष्यों का (i) पिछले 5 वर्षों के वास्तविक पर आधारित अनुमान (ii) सेक्टोरल तथा औद्योगिक विकास के संदर्भ (iii) आगमी वर्ष के लिए विकास संभावना की पूर्व सूचना (iv) राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर समकक्ष कम्पनियों से बेंचमार्किंग के आधार पर निर्धारण करना चाहिए । एमओयू में वित्तीय मापदण्डों तथा लक्ष्यों का इन दिशा – निर्देशों में जिस प्रकार दर्शाया है, उस तरह से लोक उद्यम विभाग की परिभाषाओं का उपयोग करते हुए निर्धारण करना चाहिए (अनुबंध I) ।

1.4 **गैर वित्तीय लक्ष्य** :– गैर – वित्तीय लक्ष्य स्मार्ट (विशिष्ट, माप योग्य, प्राप्य, परिणामोन्मुख वास्तविक) होने चाहिए । गैर – वित्तीय मापदण्डों की किसी बाहरी एजेंसी से स्वंतत्र रूप से प्रमाणनीय होनी चाहिए, जहां व्यवहार्य हो तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को दस्तावेजी प्रमाण को विनिर्दिष्ट भी करना चाहिए । वे निष्पादन के प्रमाण, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के स्रोत / एजेंसी के रूप में विश्वसनीय होंगे । संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि हरेक मापदण्ड, वित्तीय और गैर – वित्तीय दोनों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का एक पूरा सैट केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है । इसके बिना लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का कार्य निष्पादन करने में असहाय हो जाएगा । उन मापदण्डों के बारे में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा दावा की रेटिंग से यह स्वतः ही कम से कम एक स्तर कम हो जाएगी जिनके लिए लोक उद्यम विभाग के द्वारा दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

1.5 **ग्रुप लक्ष्य** :– कुछ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निष्पादन परस्पर निर्भर होते हैं क्योंकि उनके प्रचालन विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में कम होते हैं । ऐसी परिस्थितियों में संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रों के एमओयू लक्ष्यों को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि वे अपने निष्पादनों के लिए तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से और अलग – अलग जिम्मेदार हों । सिण्डीकेट की नियमित बैठकों के अलावा, इन निकटस्थ मुद्दों का समाधान करने के लिए सिण्डीकेटों की या तो एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए, जिसमें इनको शामिल किया जाता है, अथवा इन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, रेलवे, प्रशासनिक मंत्रालयों, लोक उद्यम विभाग और उनके संबंधित कार्य बल सिण्डीकेटों की एक अलग बैठक (बैठके) आयोजित की जाए ।

1.6 **<u>लक्ष्यों का संशोधन</u> :–** समझौता ज्ञापनों पर एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद लक्ष्यों में काई संशोधन करना अनुज्ञेय नहीं है। एमओयू लक्ष्य शर्त रहित और स्थायी होते हैं । तथापि, एमओयू के निष्पादन मूल्यांकन के दौरान, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नियंत्रण से बाहर की घटनाओं के लिए ( ) लोक उद्यम विभाग / कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत ऑफ – सैटों के अधिकार एमओयू पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के पास जारी रहेंगे ।

1.7 **<u>कार्यबल</u>** :– एमओयू पर कार्यबल विशेषज्ञों का एक तटस्थ और स्वतंत्र निकाय होता है जो वर्ष के प्रारम्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करने में तथा वर्ष के अन्त में समझौता ज्ञापनों के निष्पादन मूल्यांकन करने में एमओयू में उच्च आधिकार प्राप्त समिति तथा लोक उद्यम विभाग की सहायता करता है । वर्ष 2013 – 14 के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को "रूग्ज और हानि करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों" और "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सैक्सन 25" सहित 12 सिण्डीकेट ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया है । प्रत्येक सिण्डीकेट के लिए एमओयू पर कार्यबल में सामान्य तौर पर 4 से 5 सदस्य होंगे । एमओयू पर कार्यबल का एक अध्यक्ष होगा। सिण्डीकेट वार कार्यबल के सदस्यों की सूची लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट http//www.dpemou.nic.in पर उपलब्ध होगी ।

1.8 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त हुए मसौदा समझौता ज्ञापनों पर विचार – विमर्श करने के लिए तथा प्राथमिकता क्षेत्रों को सूचीबद्ध करने के लिए कार्यबल दिसम्बर 2012 में स्वंय के बीच में बातचीत पूर्व बैठकें शुरू करेगा । शीर्ष / नियंत्रित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सहायक कम्पनियों के संबंध में समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण, विचार – विमर्श और उसे अन्तिम रूप देने के लिए जनवरी 2012 से बातचीत बैठकें शुरू होंगी ।

1.9 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और उसकी सहायक कम्पनियों की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, कारपोरेट योजना की एक प्रति तथा संलग्न अनुबंधों सहित वर्ष 2013 – 14 के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन की एक अग्रिम प्रति 30 नवम्बर 2012 तक (हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति) लोक उद्यम विभाग योजना आोग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को को सीधे भेजी जाए । उनके बोर्ड के अनुमोदन के बाद में मुख्य प्रति 15 दिसम्बर, 2012 तक प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के माध्यम से लोक उद्यम विभाग, को भेजी जा सकती है । अनुमोदित प्रतियां संबंधित सिण्डीकेट ग्रुप के कार्यबल सदस्यों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा पहले ही भेजनी होगी ।

2. आपके मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (नियंत्रक कम्पनी और सहायक कम्पनियों) को संलग्न दिशा – निर्देशों के आधार

पर वर्ष 2013 – 14 के लिए समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करने की सलाह दी जाए।

सूची

वर्ष 2013 – 14 के लिए समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए दिशा – निर्देश ।

क्र. सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	सीपीएसई का मिशन और उद्देश्य	
2.	सरकार से वचनबद्धताएं / सहायता	
3.	निष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य और उनका निर्धारण	
4.	मसौदा एमओयू के साथ अनुलग्नक	
5.	एमओयू हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया और समयबद्धता	
6.	एमओयू मूल्यांकन	
7.	एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कार	
8.	अनुबधों की सूची	

वर्ष 2013 – 14 के लिए समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करने के लिए एमओयू संबंधी दिशा – निर्देश

समझौता ज्ञापन (एमओई) सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के बीच एक विनिमेय समझौता और अनुबंध है । यह वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में वर्ष के अन्त में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए दावा करना होता है । समझौता ज्ञापन दस्तावेज का मसौदा बनाते समय केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीचे सूचीबद्ध किए दिशा – निर्देशों और प्रपत्र का पालन करेगा ।

भाग I

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का मिशन और उद्देश्य

1.1. मिशन / दृष्टिकोण :

उद्यम और उसके व्यवसाय कार्यकलापों के अस्तित्व के लिए तर्काधार को शामिल करते हुए मिशन एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए ।

मिशन संबंधी विवरण उद्यम के द्वारा नियोजित अथवा / और सक्रिय रूप से विचाराधीन नई पहलों को ध्यान में रखकर प्रतिपादित करने चाहिए ।

1.2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के उद्देश्य

उद्देश्य उद्यम के मिशन से संबंधित होने चाहिएं और उद्यम के निदेशक मण्डल के द्वारा यथा अनुमोदित प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्ध होने चाहिए ।

यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिएं कि सभी उद्देश्यों को एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र में दर्शाया जाता है ।

1.3. सरकार से अपेक्षित वचनबद्धताएं / सहायता

सरकार से अपेक्षित वचनबद्धताएं / सहायता स्वीकृत निष्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक और संबंधित होनी चाहिए ।

इन बाध्यताओं का उद्यम के निष्पादन पर सीधा संबंध होना चाहिए और निष्पादन पर उनका प्रभाव बताना चाहिए । एमओयू दस्तावेज में वचनबद्धताओं / आश्वासनों को परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेजों (आर. एफ. डी.) में उपयुक्त रूप से शामिल करना चाहिए । तथापि, निर्धारित लक्ष्य सशर्त और अस्थायी होने चाहिए ।

2. <u>निष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य और उनका निर्धारण</u> :–

2.1.1 निष्पादन मूल्यांकन 'संतुलित स्कोर कार्ड' दृष्टिकोण पर आधारित होता है । इसमें 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत बराबर भार वाले "वित्तीय" और "गैर – वित्तीय" दोनों मापदण्ड शामिल होते हैं । तथापि, सिण्डीकेट ग्रुपों "रूग्ण और हानि उठाने वाले सीपीएसई" और "सेक्शन 25 सीपीएसई" के मामले में वित्तीय और गैर – वित्तीय मापदण्डों के लिए भार क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत है ।

2.1.2 "घटिया निष्पादन" से "उत्कृष्ट निष्पादन" को श्रेणीबद्ध करने की दृष्टि से समझौता ज्ञापन में 5 सूत्रीय – स्केल पर आरोही क्रम में अर्थात् (1) 'उत्कृष्ट', (2) 'बहुत अच्छा', (3) 'अच्छा' (4) 'साधारण' और (5) 'घटिया' अलग – अलग निष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए ।

2.1.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के साथ परामर्श करके कार्यबल बुनियादी लक्ष्य और उत्कृष्टता, बहुत अच्छा, अच्छा आदि के बीच अन्तर का स्तर निर्धारित करेगा ।

2.1.4 किसी प्रकार का अस्थायी अथवा सशर्त लक्ष्य अनुज्ञेय नहीं है । अतः सभी निष्पादन लक्ष्य बिना शर्त वाले होते हैं ।

2.1.5 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के बीच में समझौता ज्ञापन एक बार हस्ताक्षर हो जाने पर लक्ष्यों में किसी प्रकार संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी । एमओयू कार्यबल को व्यापक लोक उद्यम विभाग के दिशा – निर्देशों के अध्यधीन लक्ष्यों के बुनियादी और अन्य स्तरों पर फैले इन मापदण्डों में से प्रत्येक उपयुक्त वित्तीय और गैर – वित्तीय मापदण्डों, भार का चयन करने के लिए लचीला रूख रखना होगा । तथापि सीपीएसई के नियंत्रण से बाहर की घटनाओं के ( ) एमओयू का निष्पादन मूल्यांकन करते समय लोक उद्यम विभाग / कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर ऑफ सेटों की अनुमति देने के अधिकार एचपीसी के पास जारी रहेंगे ।

2.2 वित्तीय लक्ष्य

वित्तीय मापदण्डों की परिभाषाएं : सभी वित्तीय मापदण्ड उन परिभाषाओं के अनुरूप होने चाहिए जिनको लोक उद्यम सर्वेक्षण में अपनाया है और प्रत्येक वर्ष संसद में रखा जाता है । अनुबंध I सलंग्न है ।

2.2.1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एमओयू के अन्त में इस आशय का एक स्व–प्रमाणन (अनुबंध IX) देगा कि विनिमेय हेतु वित्तीय मापदण्डों और प्रबंधन अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त करते समय लोक उद्यम विभाग के एमओयू दिशा – निर्देशों में निर्धारित परिभाषाओं और मानदण्डों का सख्ती से और ईमानदारी से पालन किया गया है और उनमें कोई अन्तर नहीं किया गया है ।

2.2.3 निर्धारित लक्ष्य वास्तविक, विकासोन्मुख और अन्तः प्ररेणादायक होने चाहिए । निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2013 – 14 के बजट अनुमानों के अनुरूप होने चाहिए तथा योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और यथा लागू अन्य सांविधिक अथवा नियामक निकायों द्वारा अनुमोदि किए लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए । यह देखा गया है कि कुछ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने सुलभ लक्ष्यों के लिए अपने मामले के बारे में निवेदन करने के लिए आगामी वर्ष के उनके अनुमानित निष्पादन को कम कर दिया। ऐसे मामलों में एमओयू का निष्पादन मूल्यांकन करते समय लक्ष्यों को इस तरह से कम करने और भारी अधिक अन्तरों से अधिक उपलब्धि के देखने में विश्वसनीय कारणों को बताने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आग्रह करने के लिए लोक उद्यम विभाग / कार्य बल स्वतंत्र होगा । कार्य बल निष्पादन मूल्यांकन के दौरान उपयुक्त समायोजन तथा स्कोर एवं रेटिंग को तदनुसार अन्तिम रूप दे सकेगा । अतः वर्ष 2012 – 13 के लिए एमओयू हेतु लक्ष्यों को निर्धारित करते समय निम्नलिखित पद्धति का पालन किया जाएगा :

2.2.4 सकल बिक्रकी, सकल मार्जिन, निवल लाभ, निवल मूल्य जैसे मापदण्डों के लिए बुनियादी लक्ष्य (बी. टी.) निर्धारित करने के लिए विगत 5 वर्षों की वास्तविक उपलब्धि (अनुबंध – VIII) तथा क्षमता और इसका विस्तार, व्यापार परिवेश, कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं तथा कंपनी के विकास पूर्वानुमान जैसे कारकों के बारे में विचार किया जाएगा । जब तक पूर्ववर्ती वर्ष में खराब निष्पादन न हो, तब तक बुनियादी वित्तीय लक्ष्यों के बारे में पूर्ववर्ती वर्ष की उपलब्धि अथवा लक्ष्यों की तुलना में एक महत्वाकांक्षी विकास का अनुमान लगाते हुए इन लक्ष्यों को सामान्य तौर पर निर्धारित किया जाना चाहिए । खराब निष्पादन के मामले में पिछले 3 वर्षों के वास्तविक निष्पादन के औसत पर वृद्धि पर विचार करते हुए वास्तविक, प्राप्य लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाए । अन्य वित्तीय मापदण्डों और प्रबंधन के लक्ष्यों को बाद में प्राप्त किया जा सकता है । जिन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने केवल हाल ही में समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना शुरू किया है, उनके लिए उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुमान लगाए जाएंगे ।

2.2.6 राष्ट्रीय और / अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों सहित बेंचमार्किंग के मामले में एमओयू पर कार्यबल का विवेक लागू होगा ।

2.3 गैर – वित्तीय लक्ष्य :

2.3.1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, प्रशासनिक विभाग / मंत्रालय के साथ परामर्श करके गैर – वित्तीय मापदण्डों का चयन कर सकते हैं जिनको अपने उद्देश्यों को पूरा करने तथा इसके कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तथापि, निर्धारित गैर – वित्तीय लक्ष्य स्मार्ट (विशिष्ट, माप योग्य, प्राप्य, परिणामोन्मुख, वास्तविक) होने चाहिए और जिनके बारे में मसौदा एमओयू के समय पर और लक्ष्यों को निर्धारित करने के दौरान प्राथमिकता के आधार पर निर्णय होना चाहिए । गैर – वित्तीय मापदण्डों की किसी बाहरी एजेंसी से स्वंतत्र रूप से प्रमाणनीय होनी चाहिए, जहां व्यवहार्य हो तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को दस्तावेजी प्रमाण को विनिर्दिष्ट भी करना चाहिए । वे निष्पादन के प्रमाण, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के स्रोत / एजेंसी के रूप में विश्वसनीय होंगे । इसका आशय सख्त, पारदर्शी और वस्तुपरक मूल्यांकन सुनिश्चित करना है ।

2.3.2 गतिशील मापदण्ड

एमओयू वार्ता बैठक में हुए विचार – विमर्शों के दौरान यदि कार्यबल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र में यथा निर्दिष्ट कोई गतिशील पैरामीटर किसी विशेष केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के प्रासंगिक न हों, तो कार्यबल नए मापदण्ड बना सकता है तथा उस विशिष्ट केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के प्रासंगिक शेष भार को समायोजित कर सकता है ।

2.3.3 सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा मानीटरिंग की गई परियोजनाओं सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा जारी तथा क्रियान्वित की जाने वाली नई परियोजनाओं को गैर – वित्तीय लक्ष्यों में शामिल करना चाहिए । पूरी की गई परियोजनाओं, समय और अधिक लागत की वजह से लंबित परियोजनाओं की सूची, उन जारी परियोजनाओं के लक्ष्य, जिनको वर्ष के दौरान पूरा नहीं किया जा सकता है, आदि का भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए ।

2.3.4 **क्षेत्र – विशिष्ट और उद्यम – विशिष्ट मापदण्ड :**

कार्य बल उपयुक्त क्षेत्र – विशिष्ट और उद्यम विशिष्ट मापदण्डों की पहचान करेगा। बनाएगा तथा जहां पर अच्छे तालमेल का जरूरी समझा जाता है, वहां पर केन्द्रीय सार्वजनिक स्थल क्षेत्र उद्यम / प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श करके भारों को बदल सकता है तथा उनके कोई अंतर किए बिना उनको गैर – वित्तीय मापदण्डों के अन्तर्गत मापदण्डों को एक साथ मिला भी सकता है ।

2.3.5 **भौतिक लक्ष्य**

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन के अलावा मापे जाने योग्य भौतिक लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की उत्पादकता और कार्य कुशलता को दर्शाते हैं । कार्य बल यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के एमओयू में भौतिक लक्ष्यों के लिए पर्याप्त महत्व दिया जाता है ।

2.3.7 **नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी**

"नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी" 5 प्रतिशत अनिवार्य महत्व सहित "गैर – वित्तीय मानदण्डों" के तहत एक अनिवार्य संघटक है । लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी पर दिनांक 09.04. 2010 के का. ज्ञा. सं. 15(3)/2007–डी.पी.ई (जी.एम) के द्वारा दिशा – निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं और ये लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट http://dpe.nic.in.newgl/glch1223.pdf. पर उपलब्ध है ।

कार्यबल, वार्ता बैठकों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के साथ विचार विमर्श करके, लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी किए गए दिशा – निर्देशों में दी गई सूची में से परियोजनाओं / कार्यकलापों को अन्तिम रूप देगा ।

2.3.8 **अनुसंधान और विकास**

5 प्रतिशत अनिवार्यता महत्व के साथ "अनुसंधान और विकास" (आर एण्ड डी) 'गैर – वित्तीय मापदण्डों' के तहत एक अनिवार्य संघटक है ।

2.3.9 संपोषणीय विकास

"संपोषणीय विकास" 5 प्रतिशत के अनिवार्यता महत्व के साथ "गैर – वित्तीय मापदण्डों" के अधीन एक अनिवार्य संघटक है । लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए संपोषणीय विकास पर दिनांक 23 सितम्बर 2011 के का. ज्ञा. सं. 3(9)/2010 – डी.पी.ई. (एमओयू) के द्वारा दिशा – निर्देश जारी किए हैं और ये वेबसाइट http:dpemou.nic.in/MOUFiles/Sustainable_Dev.pdf. पर उपलब्ध हैं ।

कार्यबल वार्ता बैठकों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के साथ विचार विमर्श करके, लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी किए गए दिशा – निर्देशों में दी गई सूची में से परियोजनाओं / कार्यकलापों को अन्तिम रूप देगा ।

2.3.10 नैगमिक शासन का अनुपालन

लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 14 मई 2010 के का. ज्ञा. सं. 18(8)/2005– जी.एम. के द्वारा नैगमिक शासन पर दिशा – निर्देश जारी किए हैं । सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, सेवी के दिशा – निर्देशों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशा – निर्देशों दोनों का पालन करेंगे, जबकि गैर – सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अनिवार्यत : लोक उद्यम विभाग के दिशा – निर्देशों का पालन करेगा ।

वर्ष 2013 – 14 के समझौता ज्ञापन में, "नैगमिक शासन का अनुपालन" "गैर – वित्तीय मापदण्डों" के तहत एक मापदण्ड नहीं होगा । तथापि अनुपालन न करने के लिए नकारात्मक मार्किंग की जाएगी ।

2.3.11 मानव संसाधन प्रबंध

"मानव संसाधन प्रबंध" "गैर – वित्तीय मापदण्डों" के अधीन एक संघटक रहता है । लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 29 सितम्बर 2011 के का. ज्ञा. सं. 3(9)/2010–डीपीई (एमओयू) के द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए "मानव संसाधन प्रबंध" पर दिशा – निर्देश जारी किए हैं और ये वेबसाइट http://dpemou.nic.in/MOUFiles/HRMGudelines.pdf. पर उपलब्ध है ।

एचआरएम के लिए वर्तमान टेमप्लेट बहुत ही लम्बा होना माना गया है । इसलिए कार्यबल वार्ता बैठकों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के साथ परामर्श करके मानव संसाधन मापदण्डों के बारे में निर्णय लेंगे, जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बेहतर निष्पादन और कार्य–कुशलता के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं ।

2.3.12 लोक उद्यम विभाग के दिशा – निर्देशों का अनुपालन

5 प्रतिशत अनिवार्यता महत्व के साथ वर्ष 2012 – 13 के समझौता ज्ञापन में लागू किए गए लोक उद्यम विभाग के दिशा – निर्देशों का अनुपालन समझौता ज्ञापन 2013 – 14 में अनिवार्य मापदण्ड नहीं होगा । उनको मापदण्डों के रूप में लेने के बजाए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को, चूंकि, सांविधिक और नियामक निकायों के अनुदेशों तथा दिशा – निर्देशों का पालन करना अपेक्षित होता है, इसलिए, न पालन करने के स्थिति में एमओयू में नकारात्मक मार्किंग शुरू की जा रही है । कार्यबल को अनुपालन न करने की सीमा और गंभीरता के आधार पर 5 तक नकारात्मक अंक का दण्ड लगाने की स्वतंत्रता होगी ।

3. मसौदा समझौता ज्ञापन के साथ अनुलग्नक :

एमओयू अभ्यास वर्ष 2012 – 13 के लिए कुल 12 सिण्डीकेट समूह हैं । ये एमओयू अभ्यास 2013 – 14 के लिए जारी रहेंगे ।

3.1 वर्ष 2013 – 14 के लिए एमओयू लक्ष्यों के साथ पिछले 5 वर्षों से संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मुख्य वित्तीय सूचक संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करने चाहिए (अनुबंध VIII) ।

3.1.1 अलग – अलग क्षेत्रों के लिए एमओई मूल्यांकन प्रपत्र

"विनिर्माण", "खनन और धातु", "व्यापार और विपणन", "संविदा और परामर्श" तथा "वित्तीय" क्षेत्रों के अंतर्गत व्यापक रूप से आने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पूर्ववर्ती वर्षों में अपनायी पद्धति के अनुसार तथा वार्ता बैठकों के दौरान कार्यबल के अनुमोदन से एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र को अपना सकते हैं (अनुबंध II-IV) "रुग्ण और हानि करने वाले सीपीएसई" तथा "कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत सीपीएसई" प्रपत्र (अनुबंध V और VI) को अपनाएंगे ।

3.1.2 लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी एमओयू वार्ता बैठकों के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ एमओयू वार्ता बैठकों के विचार विमर्श के संक्षिप्त रिकार्ड (एसआरडी) कार्यवृत्त मसौदा एमओयू 2013 – 14 के साथ संलग्न होने चाहिए ।

3.1.3 मसौदा एमओयू प्रस्तुत करते समय केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा सितम्बर 2012 तक की अवधि की कारपोरेट योजना, वर्ष 2011 – 12 की वार्षिक रिपोर्ट तथा समीक्षा किए गए वित्तीय परिणामों तीनों को एक – एक प्रति लोक उद्यम विभाग को तथा संबंधित सिण्डीकेटों के कार्यबल के सदस्यों (2013 – 14) को अलग से प्रस्तुत करनी चाहिए । इसी प्रकार, दिसम्बर 2012 को समाप्त हुई तिमाही तक निष्पादन वार्ता बैठकों से पूर्व / के दौरान उपलब्ध कराने चाहिए ।

3.1.4 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से मसौदा एमओयू प्राप्त होने के बाद दिसंबर, 2012 में कार्यबल स्वयं अपने स्तर पर विचार – विमर्श आन्तरिक बैठकों आयोजित कर

सकता है, टिप्पणियों, प्रश्नों, शंकाओं आदि की सूची बना सकते हैं तथा लोक उद्यम विभाग के माध्यम से संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से अपेक्षित सूचना और ब्यौरे प्राप्त कर सकते हैं । वार्ता बैठक से पूर्व केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा लोक उद्यम विभाग के पास अपने उत्तर भेजने चाहिए ।

4. समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया और समयबद्धता

4.1.1 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रमाणीकरण हेतु समझौता ज्ञापन वार्ता बैठकों के कार्यवृत्त पर आधारित संशोधित समझौते ज्ञापन प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के माध्यम से सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (नियंत्रण तथा सहायक कम्पनियों) के द्वारा भेजने चाहिए ।

4.1.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमओयू प्रणाली लोक उद्यम विभाग में प्रभावी ढ़ग से कार्य रहा है, प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (नियंत्रण तथा सहायक कम्पनियां) उपर्युक्त समयबद्धता का पालन करेंगी ।

4.1.3 वर्ष 2013 – 14 के लिए एमओयू समय पर प्रस्तुत करना

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और उसकी सहायक कम्पनियों की वार्षिक योजना, कारपोरेट योजना की एक प्रति तथा संलग्न अनुबंधों सहित वर्ष 2013 – 14 के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन की एक अग्रिम प्रति 30 नवम्बर 2012 तक (हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति) लोक उद्यम विभाग, योजना आयोग और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सीधे भेजी जाए । निदेशक मंडल के अनुमोदन से मुख्य प्रति प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को 15.12.2012 तक भेजी जा सकती है ।

(i) **वर्ष 2013 – 14 के लिए एमओयू को समय से हस्ताक्षर करना :** केन्द्रीय सार्वजनिक स्थल क्षेत्र उद्यम और प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के बीच तथा सहायक कंपनी और शीर्ष / नियंत्रण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बीच में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति **25 मार्च, 2013** की नियत तारीख से भीतर प्रस्तुत करना ।

(ii) लेखा परीक्षा किए आकड़ों (लेखा – परीक्षा किए गए लेखे), तुलन – पत्र, संशोधित अनुसूची VI तथा पूर्व – संशोधित अनुसूची VI में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लाभ और हानि लेखा तथा वर्ष 2012 – 13 के लिए गैर – वित्तीय मापदण्डों की उपलब्धि के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर वर्ष 2012 – 13 के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग तथा कार्य बल के सदस्यों के लिए

(वर्ष 2012 – 13 के लिए) अपने प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के माध्यम से तथा सीपीएई के बोर्ड के अनुमोदन के बाद 31 अगस्त, 2013 की नियत तारीख तक समय पर प्रस्तुत करना ।

(iii) **निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत न करना :** जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम लेखा परीक्षा किए गए वार्षिक आंकड़ों सहित निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनकी रिपोर्टों का लोक उद्यम विभाग के द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को एमओयू में "घटिया" कोटि में रखा जाएगा और वे समझौता उत्कृष्टता पुरस्कारों / प्रमाणपत्रों के लिए पात्र नहीं होंगे ।

5. एमओयू मूल्यांकन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के एमओयू का मूल्यांकन एमओयू लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर वर्ष के अन्त में किया जाता है । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (नियंत्रण और सहायक कम्पनियों) के द्वारा लेखा – परीक्षा किए गए आंकड़ों के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग और सिंडीकेट ग्रुप के कार्यबल के सदस्यों के लिए सीपीएसई के बोर्ड के अनुमोदन के बाद तथा प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के माध्यम से 31 अगस्त की नियत तारीख के भीतर प्रस्तुत करनी होती है ।

कार्यबल की सहायता और विशेषज्ञता से एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन पूरा करने के बाद लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की रेटिंग तथा एमओयू कम्पोजिट स्कोर के परिणाम मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति को उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता है । कार्यबल के द्वारा किए गए मूल्यांकन के बारे में उच्च अधिकार प्राप्त समिति के द्वारा एक बार अनुमोदन दे दिए जाने के बाद केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कम्पोजिट स्कोर और रेटिंग अन्तिम हो जाते हैं ।

5.1 रा – स्कोर

रा – स्कोर, एमओयू लक्ष्यों के 5 सूत्रीय स्केल के संबंध में "वास्तविक निष्पादन" को दर्शाता है । यदि वास्तविक निष्पादन "उत्कृष्ट" लक्ष्य (1) के बराबर अथवा अधिक हो, तो रा – स्कोर 1.00 होगा । यदि वास्तविक निष्पादन "घटिया" लक्ष्य (5) के बराबर अथवा कम हो, तो रा – स्कोर 5.00 होगा । यदि वास्तविक निष्पादन "उत्कृष्ट" (1) और "बहुत अच्छा" (2) के बीच में आता है, तो उस मामले में रा – स्कोर 1 + (उत्कृष्ट – वास्तविक) ÷ (उत्कृष्ट – बहुत अच्छा) आदि आदि होगा ।

5.1.2 कम्पोजिट स्कोर और रेटिंग

कम्पोजिट स्कार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के निष्पादन का सूचक है जिसकी 5 सूत्रीय स्केल पर निर्धारित "लक्ष्यों" की तुलना में "वास्तविक उपलब्धियों" के सभी भारित स्कोर के कुल के रूप में गणना की जाती है ।

एमओयू कम्पोजिट रेटिंग के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के ग्रेडिंग की प्रणाली निम्नानुसार है : –

एमओयू कम्पोजिट स्कोर	रेटिंग
1.00 – 1.50	उत्कृष्ट
1.51 – 2.50	बहुत अच्छा
2.51 – 3.50	अच्छा
3.51 – 4.50	साधारण
4.51 – 5.00	घटिया

5.1.3 एमओयू पर कार्यबल के संबंधित सिण्डीकेट ग्रुप नवम्बर के अन्त तक केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्रों के एमओयू कम्पोजिट स्कोर तथा रेंटिग को अन्तिम रूप देगा ।

6. एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कार

6.1 एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कारों की कुल संख्या 12 है (10 सिण्डीकेट ग्रुपों के प्रत्येक से एक, सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से 1, रुग्ण हुए तथा हानि कर रहे सीपीएसई में से 1) । सभी अन्य "उत्कृष्ट" निष्पादन कर रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एमओयू उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं ।

6.2 लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 20 अगस्त, 2007 को का. ज्ञा. सं. 3(13)/2006–डीपीई (एमओयू) के द्वारा प्रत्येक सिण्डीकेट से 10 उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए एमओयू निष्पादन तथा सिद्धान्तों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू की तथा दिनांक 7 जनवरी, 2008 के का. ज्ञा. सं. 3(29)/2007–डीपीई (एमओयू) के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए "सर्वोत्तम सूचीबद्ध" तथा "सर्वोत्तम रुग्ण हुई तथा हानि कर रहे सीपीएसई" का चयन करने के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति जारी की ।

अनुबंधों की सूची

अनुबंध – I : वित्तीय पैरामीटरों की परिभाषाएं

अनुबंध – II : औद्योगिक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र – "विनिर्माण और खनन" केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

अनुबंध – III : "व्यापार और परामर्श क्षेत्र" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

अनुबंध – IV : "वित्तीय क्षेत्र" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

अनुबंध – V : "कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अधीन पंजीकृत सीपीएसई" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

अनुबंध – VI : "रूग्ण और हानि कर रहे" सीपीएसई के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

अनुबंध – VII : "निर्माणाधीन सीपीएसई" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र

अनुबंध – VIII : पिछले 5 वर्षों के वित्तीय मापदण्डों पर सीपीएसई के निष्पादन की प्रवृत्ति ।

अनुबंध – IX : सीपीएसई द्वारा स्वयं घोषणा / प्रमाणन ।

अनुबंध – I

वित्तीय मापदण्डों की परिभाषाएं

सकल मार्जिन : – मूल्यह्रास, ऋणों पर ब्याज, करों (आस्थगित करों सहित), असाधारण मदों, पूर्व अवधि समायोजनों तथा रिजर्व के लिए विनियोजनों हेतु प्रावधान करने से पूर्व व्यय की तुलना में आय की अधिकता को दर्शाता है ।

सकल लाभ : – ब्याज, करों (आस्थगित करों सहित) असाधारण मदों, पूर्व अवधि समायोजनों तथा रिजर्व के लिए विनियोजनों हेतु प्रावधान करने से पूर्व व्यय की तुलना में आय की अधिकता से अभिप्रेत है ।

निवल लाभ : – मूल्यह्रास, ब्याज, करों (आस्थगित करों सहित) असाधारण मदों के लिए व्यवस्था करने के बाद, पूर्व अवधि समायोजनों लेकिन रिजर्व के लिए विनियोजनों हेतु व्यवस्था करने से पूर्व व्यय की तुलना में प्रचालन आय की अधिकता से अभिप्रेत है ।

आस्थगित करों सहित करों से पूर्व लाभ तथा ईपी (पीबीटीईपी) करों (आस्थगित करों सहित) असाधारण मदों, पूर्व अवधि समायोजनों तथा रिजर्व के लिए नियोजनों के लिए प्रावधान करने से पूर्व व्यय की तुलना में आय की अधिकता से अभिप्रेत है ।

ईपी से पूर्व लाभ (पीबीईपी) मूल्यह्रास, ब्याज, करों के लिए प्रावधान करने के बाद, लेकिन असाधारण मदों, पूर्व अवधि समायोजनों तथा रिजर्व के लिए विनियोजनों की व्यवस्था करने से पूर्व व्यय की तुलना में आय की अधिकता से अभिप्रेत है ।

निवल मूल्य : – प्रदत्त पूंजी, आवंटन हेतु लम्बित शेयर आवेदन पत्र राशि, तथा संचित हानियां कम करके रिजर्व तथा बट्टे – खाते न डाली गई राशि तक आस्थगित राजस्व व्यय।

सकल ब्लाक : – लेखा वर्ष के अन्त में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक लेखों में यथा प्रकट स्थिर परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने तथा निर्माण करने की मूल लागत तथा उनको बढ़ोतरियों में लेखे में लेता है तथा बिक्री और हस्तान्तरण के माध्यम से उससे कटौतियों को दर्शाता है ।

नियोजित पूंजी : – चल पूंजी सहित संचित मूल्यह्रास को कम करके स्थिर परिसम्पत्तियों के सकल ब्लाक से अभिप्रेत है ।

सकल बिक्री : – कुल कारोबार को दर्शाता है और उत्पाद शुल्क, कमीशन, और कटौतियों आदि के संघटक शामिल हैं ।

कारोबार / प्रचालन आय : – कुल राशि से अभिप्रेत है जिसके लिए उत्पाद शुल्क सहित कंपनी के द्वारा बिक्री प्रभावित की जाती है तथा प्रचालनों / की गई सेवाओं से प्राप्तियां शामिल है ।

संबर्धित मूल्य : – श्रम, पूंजी और सामग्री पर उचित लाभ लेने के बाद, जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की समग्र दक्षता को दर्शाता है, संबर्धित मूल्य अवशिष्ट होता है । संबर्धित मूल्य की गणना पूंजी पर लाभ को कम करके सकल मार्जिन के रूप में की जाती है, जिसकी फिर सामाजिक कारक सीपीएसई के लिए नियोजित पूंजी के लिए 4 प्रतिशत की दर से तथा सभी अन्य सीपीएसई के लिए 10 प्रतिशत की दर से पूंजी वसूली कारक के रूप में गणना की जा सकती है ।

निवल हानि से अभिप्राय : प्रचालन आय की तुलना में व्यय की अधिकता (मूल्यह्रास, ब्याज, करों, असाधारण मदों, पूर्व अवधि समायोजनों लेकिन रिजर्व के लिए विनियोजनों का प्रावधान करने से पूर्व व्यय) से होता है ।

इक्विटी पर लाभ : – इसकी गणना निवल लाभ में से वरीयता शेयरों पर लाभांश की कटौती करके तथा वरीयता शेयर पूंजी की राशि से यथा समायोजित निवल मूल्य से विभाजित करके की गई है ।

प्रति शेयर आय : – इसकी प्रदत्त पूंजी से निवल लाभ को विभाजित करके तथा प्रत्येक शेयर के अंकित मूल्य अर्थात् 10 रु. से इसे गुणा करके गणना की जाती है । एकरुपता

और तुलना करने के लिए प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य प्रति शेयर 10 रुपए माना गया है ।

अनुबंध – II

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र – विनिर्माण और खनन सीपीएसई								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड			**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
1. **स्थिर / वित्तीय मापदण्ड**	**इकाई**	भार (%)	उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोषजनक (4)	घटिया (5)	
क) वित्तीय सूचक – <u>लाभ संबंधी अनुपात</u> i) सकल मार्जिन / सकल ब्लाक ii) निवल लाभ / निवल मूल्य iii) सकल लाभ / नियोजित पूंजी	 % % %	 2 10 10						
ख) वित्तीय सूचक – आकार संबंधी i) सकल मार्जिन ii) सकल बिक्री	 रु. करोड़ रु. करोड़	 8 4						
ग) वित्तीय लाभ – उत्पादकता संबंधी i) पी.बी.डी.आई.टी / कुल रोजगार ii) संबर्धित मूल्य / बिक्री	 % %	 7 9						
उप जोड 1 (क+ख +ग)		50						
2.गतिशील मापदण्ड*								
घ) गुणवत्ता (आई एस ओ प्रमाणन, गुणवत्ता का अन्तर्राष्ट्रीयकरण एसबीयू / उत्पादों के भीतर)								
ड.) ग्राहक सन्तुष्टि (ग्राहक उन्मुखीकरण)								
च) मानव संसाधन प्रबंध – एचआरएम								
छ) अनुसंधान और विकास								
च) नवीन पद्धतियों को अपनाना								
छ) परियोजना का कार्यान्वयन आधुनिकीरण और विस्तार								
ज) पूंजीगत व्यय / ग्रीन फील्ड निवेश / संयुक्त उद्यम								
झ) वैश्वीकरण का प्रसार (अन्तराष्ट्रीयकरण, संयुक्त उद्यम,								

निर्यात, रणनीतिक, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बाजार की उपस्थिति मूल्य श्रृंखला सहित अन्तर्राष्ट्रीयकरण)								
ञ) नैगमिक सामाजिक सुरक्षा (सीएसआर)								
ट) संपोषणीय विकास								
उप जोड (घ + ड.+ च + छ + ज + झ + ञ + ट + ठ + ड +)								
3 क्षेत्रीय विशिष्ट मापदण्ड								
4 उद्यम विशिष्ट मापदण्ड								
जोड (1 + 2 + 3)		100						

* गैर वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में जांच के संसाधनों (दस्तावेजी प्रमाण और दस्तावेजों के स्रोत / उद्गम) को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

अनुबंध – III

"व्यापार और परामर्श क्षेत्र" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड			**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
1. **स्थिर / वित्तीय मापदण्ड**	**इकाई**	भार (%)	उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोषजनक (4)	घटिया (5)	
क) वित्तीय सूचक – लाभ संबंधी अनुपात i) सकल मार्जिन / सकल ब्लाक ii) प्रचालन कारोबार / कर्मचारी	 % %	 10 12						
ख) वित्तीय सूचक – आकार संबंधी i) सकल मार्जिन ii) सकल बिक्री	 रु. करोड़ रु. करोड़	 8 4						
ग) वित्तीय लाभ – उत्पादकता संबंधी i) पी.बी.डी.आई.टी / कुल रोजगार ii) संबर्धित मूल्य / बिक्री	 % %	 7 9						
उप जोड 1 (क+ख +ग)		50						
2.गतिशील मापदण्ड*								

घ) गुणवत्ता (आई एस ओ प्रमाणन, गुणवत्ता का अन्तर्राष्ट्रीयकरण एसबीयू / उत्पादों के भीतर)								
ड.) ग्राहक सन्तुष्टि (ग्राहक उन्मुखीकरण)								
च) मानव संसाधन प्रबंध – एचआरएम								
छ) अनुसंधान और विकास								
च) परियोजना कार्यान्वयन (आधुनिकीकरण एवं विस्तार)								
छ) परियोजना का कार्यान्वयन आधुनिकीरण और विस्तार								
झ) पूंजीगत व्यय / ग्रीन फील्ड निवेश / संयुक्त उद्यम								
ञ) वैश्वीकरण का प्रसार (अन्तराष्ट्रीयकरण, संयुक्त उद्यम, निर्यात, रणनीतिक, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बाजार की उपस्थिति मूल्य श्रृंखला सहित अन्तर्राष्ट्रीयकरण)								
ट) नैगमिक सामाजिक सुरक्षा (सीएसआर)								
झ) संपोषणीय विकास								
ढ) अभिनव प्रथाओं को गोद लेना **उप जोड** (घ + ड.+ च + छ + ज + झ + ञ + ट + ठ + ड +)								
3 क्षेत्रीय विशिष्ट मापदण्ड								
4 उद्यम विशिष्ट मापदण्ड								
जोड (1 + 2 + 3)		100						

* गैर वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में जांच के संसाधनों (दस्तावेजी प्रमाण और दस्तावेजों के स्रोत/उद्गम) को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

अनुबंध – IV

"वित्तीय क्षेत्र" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड			**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
1. **स्थिर / वित्तीय मापदण्ड**	**इकाई**	भार (%)	उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोषजनक (4)	घटिया (5)	
(क) वित्तीय सूचक–लाभ संबंधी		22						
(i) वितरण								
(ii) गतिशील स्रोत								
(iii) स्वीकृत ऋण								
(iv)मूल्य के आधार पर चालू की गई परियोजना								
(v) वित्तीय लाभ (ऋणों की वास्तविक लागत और वितरण का अन्तर)								

(ख) वित्तीय सूचक–माप संबंधी								
(i) सकल मार्जिन	**करोड़ रू0**	8						
(ii)सकल बिक्री (करोड़ रूपए)	**करोड़ रू0**	4						
(ग) वित्तीय सूचक–माप संबंधी								
उत्पादकता संबंधी								
(i) पीबीआईटी / कुल रोजगार		7						
(ii) सवंर्धित मूल्य / बिक्री		9						
उप जोड 1 (क+ख +ग)		50						
2.गतिशील मापदण्ड*								
घ) गुणवत्ता (आई एस ओ प्रमाणन, गुणवत्ता का अन्तर्राष्ट्रीयकरण एसबीयू / उत्पादों के भीतर)								
ड.) ग्राहक सन्तुष्टि (ग्राहक उन्मुखीकरण)								
च) मानव संसाधन प्रबंध – एचआरएम								
छ) अनुसंधान और विकास								
ज) पूंजीगत व्यय / ग्रीन फील्ड निवेश / संयुक्त उद्यम								
झ) वैश्वीकरण का प्रसार (अन्तराष्ट्रीयकरण, संयुक्त उद्यम, निर्यात, रणनीतिक, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बाजार की उपस्थिति मूल्य श्रृंखला सहित अन्तर्राष्ट्रीयकरण)								
ट) नैगमिक सामाजिक सुरक्षा (सीएसआर)								
झ) संपोषणीय विकास								
अभिनव प्रथाओं को गोद लेना								
उप जोड (घ + ड.+ च + छ + ज + झ + ञ + ट + ठ + ड +)								
3 क्षेत्रीय विशिष्ट मापदण्ड								
4 उद्यम विशिष्ट मापदण्ड								
जोड (1 + 2 + 3)		100						

* गैर वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में जांच के संसाधनों (दस्तावेजी प्रमाण और दस्तावेजों के स्रोत / उद्गम) को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

अनुबंध – V

"कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन पंजीकृत सीपीएसई" के लिए एमओयू प्रपत्र								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड			**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
1. **स्थिर / वित्तीय मापदण्ड**	**इकाई**	भार (%)	उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोषजनक (4)	घटिया (5)	
1.1 सकल मार्जिन	रु. करोड़	10						
1.2 वितरण	रु. करोड़	12						
1.3 सरकारी सहायता अनुदान के अलावा अन्य स्रोत से गतिशील कुल संसाधनों की		02						

प्रतिशतता 1.4 वित्तीय लाभ (ऋणों की वास्तविक लागत और वितरण का अन्तर) 1.5 लेखा परीक्षा किए गए लेखों के अनुसार वर्ष के अन्त में सीपीएसई का सकल मार्जिन / कुल रोजगार 1.6 बकाया राशि की प्रतिशतता के रूप में वसूलियां 1.7 अलग – अलग वर्षों की अधिक बकाया राशि की प्रतिशतता के रूप में वसूलियां	 प्रतिशतता अनुपात % %	 05 02 04 05						
उप जोड 1 (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)		40						
2.गैर – वित्तीय पैरा मीटर * (60 प्रतिशत)								
2.1 वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या 2.2 वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए लाभग्राहियों की प्रतिशतता 2.3 निरीक्षण के दौरान पाए गए उन लाभग्राहियों की प्रतिशतता जिनके पास सृजित परिसम्पत्तियां हैं 2.4 निरीक्षण के दौरान पाए गए सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की प्रतिशतता जिन्होंने गरीबी की रेखा पार की है ।	सं. प्रतिशतता प्रतिशतता प्रतिशतता	10 10 08 10						
3 गैर – निष्पादन वाली परिसम्पत्तियों में कमी प्रतिशतता – वर्ष वार ब्यौरा	प्रतिशतता	05						
4 अन्य सरकारी स्कीमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभग्राहियों की संख्या	सं.	05						
5 उद्यमिता विकास / कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए लक्ष्य समूहों (ग्रुप) की संख्या जिनसे रोजगार प्राप्त करने में उन्हें मदद मिली ।	सं.	04						
6 तैयार की गई रणनीतिक योजना	टाईम लाइन	02						
7 मौजूदा स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों के साथ साझेदारी	सं.	02						
8 लाभग्राहियों को प्रशिक्षित करने के लिए ईडीपी संस्थाओं के साथ भागीदारी	सं.	02						

9 अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग / नवीन प्रथाओं को अपनाना ।	टाईम लाइन	02						
उप जोड (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)		**60**						
जोड (1 + 2)		**100**						

* गैर वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में जांच के संसाधनों (दस्तावेजी प्रमाण और दस्तावेजों के स्रोत / उद्गम) को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

अनुबंध – VI

"रुग्ण और हानि वाले सीपीएसई" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड			**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
1. **स्थिर / वित्तीय मापदण्ड (40 प्रतिशत)**	**इकाई**	भार (%)	उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोषजनक (4)	घटिया (5)	
1.1 सकल बिक्री 1.2 सकल मार्जिन 1.3 सकल लाभ 1.4 निवल लाभ 1.5 प्रचालन से नकद सृजन 1.6 चल पूंजी / कारोबार	रु. करोड़ रु. करोड. रु. करोड. रु. करोड. रु. करोड. रु. करोड अनुपात	10 10 05 05 05 05 05						
उप जोड 1 (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		40						
2.गतिशील मापदण्ड * (25 प्रतिशत)								
2.1 भौतिक लक्ष्य 2.2 आर्डर बुकिंग 2.3 गुणवत्ता 2.4 ग्राहक संतुष्टि 2.5 परियोजना कार्यान्वयन 2.6 नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) 2.7 संपोषणीय विकास 2.8 अनुसंधान और विकास								
उप जोड 2 (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8)		25						
3 **क्षेत्र / उद्यम विशिष्ट मापदण्ड (35 प्रतिशत)**		05						
3.1 व्यवसाय / पुनरूद्धार योजना को तैयार करना/कार्यान्वयन (जो भी मामला हो) 3.2 प्रौद्योगिकी उन्नयन 3.3 गैर निष्पादन परिसम्पतियों से								

निधियों का सृजन 3.4 मानव संसाधन प्रबंध – एच आर एम (जन शक्ति यौक्तिकरण, उत्पादकता में सुधार, प्रशिक्षण, प्रेरणा और उत्तराधिकार संबंधी योजना बनाना आदि) 3.5 प्राप्य में कमी 3.6 सामान सूची नियंत्रण								
उप जोड 3 (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6)		**35**						
जोड (1 + 2 + 3)		**100**						

* गैर वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में जांच के संसाधनों (दस्तावेजी प्रमाण और दस्तावेजों के स्रोत/उद्गम) को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

अनुबंध – VII

* गैर वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में जांच के संसाधनों (दस्तावेजी प्रमाण और दस्तावेजों के

"निर्माणाधीन सीपीएसई" के लिए एमओयू मूल्यांकन प्रपत्र								
मूल्यांकन संबंधी मानदण्ड			**एमओयू लक्ष्य**					दस्तावेजी प्रमाण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
1. परियोजना से संबंधित मापदण्ड	**इकाई**	भार (%)	उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	संतोषजनक (4)	घटिया (5)	
1.1 भौतिक उपलब्धि (समय लंघन) 1.2 परियोजना लागत (लागत लंघन)		25 25						
उप जोड 1 (क + ख)		50						
2.गतिशील मापदण्ड *								
2.1 कारपोरेट योजना / विजन 2.2 परियोजना कार्यान्वयन 2.3 नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) 2.4 संपोषणीय विकास 2.5 मानव संसाधन प्रबंध – एच आर एम 2.6 अनुसंधान विकास								
उप जोड (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)								
3 **क्षेत्र विशिष्ट परिवर्ती कारक**								
4 **उद्यम विशिष्ट परिवर्ती कारक**								
जोड (1 + 2 + 3 + 4)		**100**						

स्रोत/उद्गम) को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

अनुबंध – VIII

(रु. करोड में)

पिछले 5 वर्षों के वित्तीय मापदण्डों पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निष्पादन की प्रवृत्ति

विवरण	2008 – 09		2009 – 10		2010 – 11		2011 – 12		2012 – 13		2013 – 14
	एम ओ यू	**वास्तविक**	**एम ओ यू**	**वास्तविक**	**एम ओ यू**	**वास्तविक**	**एम ओ यू**	**वास्तविक**	**एम ओ यू**	**31.03. 2013 के लिए अनुमानित**	**अनुमानित**
उत्पादन											
सकल बिक्री											
सकल मार्जिन											
कर पूर्व लाभ											
सकल ब्लाक											
मूल्यह्रास में कमी											
निवल ब्लॉक											
सी पी एस ई की शेयर पूंजी											
सी पी एस ई का रिजर्व और अधिशेष											
आस्थगित राजस्व व्यय में कम / पूर्व अधिग्रहण हानि											
लाभ और हानि लेखा कमी											
सी पी एस ई का निवल मूल्य											
निवेश											
विविध देनदार / बिक्री											
सामान सूची											
कुल वर्तमान परिसम्पत्तियां											
कुल वर्तमान देयताएं और प्रावधान											
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियां											
नियोजित पूंजी (निवल ब्लाक + निवल वर्तमान परिसम्पत्तियां)											
कुल ऋण (कुल निधियां)											
कुल परिसम्पत्तियां											

सी पी एस ई के कर्मचारियों की संख्या											
भुगतान किया गया लाभांश											
संबर्धित मूल्य (सामाजिक क्षेत्र के लिए नियोजित पूंजी का 4 प्रतिशत तथा अन्य सी पी एस ई के लिए 10 प्रतिशत पूंजी वसूली कारक को कम करके सकल मार्जिन)											
अनुपात											
ऋण / इक्विटी											
निवल मूल्य पर लाभ (प्रतिशतता)											
पी बी डी आई टी / सी पी एस ई का कुल रोजगार (रु.)											
सकल लाभ / नियोजित पूंजी (प्रतिशतता)											
निवल लाभ / निवल मूल्य (प्रतिशतता)											
सकल मार्जिन निकालना											
निवल लाभ											
कर											
कर पूर्व निवल लाभ											
पूर्व अवधि जोडना											
असाधारण मद जोडना											
पूर्व अवधि से पहले लाभ											
ब्याज जोड											
सकल लाभ											
मूल्यह्रास जोड											
विविध व्यय बट्टे खाते											
ब्याज, मूल्य ह्रास और विविध व्यय बट्टे खाते डालने से पूर्व सकल मार्जिन											
वित्तीय क्षेत्र के लिए अतिरिक्त											

वित्तीय सूचक – लाभ संबंधी											
i) वितरण											
ii) संसाधन गतिशीलता											
iii) ऋण स्वीकृतियां											
iv) मूल्य के संदर्भ में चालू की गई परियोजनाएं											
v) वित्तीय लाभ (ऋण की लागत और वितरण का अन्तर)											
"व्यापार और परामर्श क्षेत्र" के लिए अतिरिक्त											
i) सकल मार्जिन / सकल बिक्री											
ii) सी पी एस ई का प्रचलित कारोबार / कर्मचारियों की कुल संख्या											
सकल मार्जिन – ब्याज पूर्व लाभ, मूल्य ह्रास, आस्थगित कर सहित कर, ऋण चुकाना, पूर्व अवधि समायोजन लेखा और असाधारण मद – रु. करोड़ में											
कर के बाद निवल लाभ लेकिन असाधारण मदों और पूर्व अवधि समायोजन लेखे से पहले											
संबर्धित मूल्य (रु. करोड़ में)											

अनुबंध – IX

सी पी एस ई के द्वारा स्वयं घोषणा / प्रमाणन

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय मापदण्डों के संबंध में लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां वर्ष 2013 – 14 के लिए एमओयू दिशा – निर्देशों में निर्धारित मानदण्डों और परिभाषाओं को अपना कर एमओयू दिशा निर्देशों के अनुसार प्राप्त की गई

है । निष्पादन का मूल्यांकन करने के समय पर यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो लोक उद्यम विभाग एमओयू दिशा – निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा किए गए लेखों का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है । सीपीएसई को इस संबंध में कोई दावा करने का अधिकार नहीं है ।

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 3(12)/2012–डीपीई (एमओयू), दिनांक : 12 नवम्बर, 2012)

*****